खण्ड-228, अंक-10
गुरूवार, 22 चैत्र, शक संवत् 1884
(12 अप्रैल, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 228 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४७१–४८३
रिहन्द पावर हाउस से उत्पादित बिजली का उपयोग न होने के कारण राज्य कोष को हानि होने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना—(वक्तव्य के लिए स्वीकृत)	४८३
१९६२–६३ का आय-व्ययक (प्रस्तुत किया गया)	४८३–४९६

———

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १२ अप्रैल, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ३ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६६

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार, श्री
अवधेशप्रताप राजा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंग्रईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याण राय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किसुना, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री (वाराणसी)
गयाप्रसाद, श्री (सीतापुर)
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल वाल्मीकि, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, श्री (जौनपुर)
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगरनाथ, श्री (बलिया)
जमीलुर्रहमान, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री

जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरी प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तपेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीवनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देवराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम, श्री
नन्दकुमार देव बाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम, श्री

परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पितई, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री (इटावा)
बद्रीप्रसाद, श्री (फतेहपुर)
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिशिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बैचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त सायर, श्री
भगवानदास, श्री (आगरा)
भगवानदास, श्री (मिर्जापुर)
भगवानसहाय, श्री
भगवानदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मंधनाथसिंह सिसोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री

रतीपाल, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्त सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेई, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअवतार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरनशाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह, श्री
रुद्रप्रसादसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, श्री राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री

श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम, श्री (उन्नाव)
श्रीराम, श्री (बिजनौर)
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द, श्री
सुचेताकृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुबेदारसिंह, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

रिहन्द पावर हाउस से उत्पादित बिजली का उपयोग न होने के कारण राज्य कोष को हानि होने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष––एक कार्य स्थगन प्रस्ताव मेरे पास आया है। इस संबंध में मैं यह कह दूं कि कार्य-स्थगन के अन्तर्गत यह आता नहीं है, लेकिन यह विषय ऐसा है कि मैं माननीय संबंधित मंत्री जी से निवेदन करूंगा, यह उनके पास भेज कर, कि वे १६ अप्रैल, को जब हम मिलें, इस संबंध में एक वक्तव्य दे दें ताकि सही सूचना इस आदरणीय सदन को मिल जाय। यह प्रस्ताव माननीय नेकराम शर्मा जी का है और इसमें यह लिखा है–"विश्वस्त सूत्र से सूचना मिली है कि रिहन्द पावर हाउस से उत्पादित बिजली का उपयोग न होने से राज्य कोष को ८० हजार पये प्रति दिन की हानि हो रही है। इतनी धनराशि का राज्य कोष को हानि होना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अतः सदन यह निश्चय करता है कि इस गम्भीर विषय को विचार करने के लिये आज के लिये सदन का कार्य-स्थगित कर दिया जाय।"

तो जैसा मैंने कहा यह महत्वपूर्ण विषय अवश्य है और यह माननीय मंत्री जी के पास भेज दिया जायगा और वे इस पर १६ तारीख, सोमवार, को अपना वक्तव्य देंगे।

अब दूसरा कार्य प्रारम्भ होता है।

१९६२--६३ का आय-व्ययक

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)––श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष १९६२–६३ का बजट पेश करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

(आय-व्ययक की प्रतियां वितरित की गयीं।)

स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद हमारे देश को कई सौ वर्षों की दासता से मुक्ति तो मिली, पर साथ-साथ हमने यह भी जाना कि हमने अपनी प्रगति की यात्रा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही तय किया है, क्योंकि स्वतंत्र भारत के पुनर्निर्माण का बहुत बड़ा काम पूरा करना सामने

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

पड़ा हुआ है। फलतः हमारे देश में अपने राष्ट्रीय जीवन की रचना के एक नये युग का सूत्रपात हुआ। भारत के सामने अपने जीवन की रचना के लिये मुख्यतः दो लक्ष्य प्रतिष्ठित हुए। पहला लक्ष्य यह था कि हम अपने देश में असाम्प्रदायिक लोकतंत्रात्मक राजनैतिक व्यवस्था के आधार पर संसदीय शासन पद्धति की स्थापना करें जो जनता के द्वारा, जनता के हित की दृष्टि से परिचालित हो। इस लक्ष्य की पूर्ति उस संविधान के द्वारा हुई जिसे हमारे राष्ट्र ने आज से १२ वर्ष पूर्व स्वीकार कर के उसके अनुकूल राष्ट्रीय जीवन के संचालन का कार्य आरम्भ किया।

उसका दूसरा लक्ष्य यह था कि हम लोकतंत्रात्मक तरीकों से एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करें जो न्याय पर आधारित हो और जिसकी छत्रछाया में प्रत्येक नागरिक को अपनी उन्नति करने का समान अवसर प्राप्त हो। हमारी आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो जिसमें स्वयं शीघ्रतापूर्वक विकसित होने की सामर्थ्य हो और जो टेक्नालाजी की दृष्टि से प्रगतिशील हो तथा उस समाजवादी समाज की रचना में सहायक हो जिसमें आर्थिक और सामाजिक विषमता दूर होकर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति करने का अवसर प्राप्त हो। इस ध्येय की सिद्धि के लिये पंचवर्षीय योजनाओं का श्रीगणेश हुआ और इस प्रकार भारत ने एक नये युग में प्रवेश किया।

आज से १० वर्ष पूर्व भारत के संविधान के उपबन्धों के अनुसार स्थापित कांग्रेसी सरकार पर राष्ट्र ने उपर्युक्त राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का भार डाला। तब से निरन्तर आज तक देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये कांग्रेसी सरकार प्रयास कर रही है। हमारी पंचवर्षीय योजनायें उसके उसी प्रयास की अभिव्यक्तियां हैं। जिन लक्ष्यों को सामने रखकर पंचवर्षीय विकास योजनाओं का रूप निर्धारित होता है उन्हें आम चुनावों में अपने घोषणा-पत्र में प्रमुख रूप से प्रस्तुत करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनता के सामने रखती रही है। हमें प्रसन्नता है कि जिन उद्देश्यों को सामने रखकर सुखी और सम्पन्न नूतन भारत का निर्माण करने के लिये, कांग्रेसी सरकार ने आज तक जो नीति अपनाई है और जिन लोकतंत्रात्मक तरीकों से उन योजनाओं को पूरा करने का प्रयास किया है, उस पर अपना मतदान करके जनता ने उसकी नीति और आदर्श के प्रति दृढ़ विश्वास प्रकट किया है।

यह स्वयं सिद्ध है कि किसी अर्द्ध-विकसित तथा पिछड़े हुए देश की अर्थ-व्यवस्था सुधारने के लिये लम्बे अर्से तक लगातार प्रयत्न करना पड़ता है। पिछले वर्ष भूतपूर्व वित्त मंत्री जी ने अपने बजट-भाषण में इस राज्य की समस्त जनता से अनुरोध किया था कि हमारे प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिये जो लक्ष्य हमने अपने सामने रखे हैं उनकी प्राप्ति के लिये कटिबद्ध होने की हम फिर से दृढ़ प्रतिज्ञा करें। मैं उस अनुरोध को अपने अन्तःकरण से पुनः दोहरा देना चाहता हूं।

पंचवर्षीय योजना की अवधि में जो वार्षिक बजट सदन के सामने लाये जाते हैं, उनके द्वारा समाप्त होने वाले वर्ष में की गयी प्रगति की समीक्षा करने तथा आगामी वर्ष में आयोजना के लक्ष्यों की पूर्ति के लिये संशोधक उपाय करने का अवसर मिल जाता है। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि मैं आपके सम्मुख वित्तीय वर्ष १९६१-६२ और १९६२-६३ की आर्थिक परिस्थिति का जो विवरण रखने जा रहा हूं उसे आप कृपाकर इसी दृष्टि से देखने का कष्ट करें।

सामान्यतया किसी वित्तीय वर्ष का बजट, विधान मण्डल के सामने, उसके पिछले वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत कर दिया जाता है। पर हाल में जो साधारण निर्वाचन हुआ और तदनुसार जो नया विधान मण्डल बना उसके कारण इस अवसर पर सामान्य कार्य-प्रणाली से भिन्न पद्धति का अनुसरण करना आवश्यक हो गया। पिछली सरकार ने वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के लिये, नीतियों एवं कार्यक्रम का निर्धारण करने का कार्य नई सरकार पर छोड़ कर उचित ही किया और पिछले विधान मण्डल (outgoing legislature) से केवल लेखानुदान की स्वीकृति प्राप्त की जिससे कि मुख्य बजट के, जिसे मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूं, पारित होने तक चाल

वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों में आवश्यक साधारण व्यय की पूर्ति की जा सके। संविधान के अनुसार यह अपेक्षित है कि जब विधान-मण्डल से लेखानुदान (vote on account) स्वीकृत करने का अनुरोध किया जाय तो उस वर्ष का वार्षिक वित्त विवरण (अर्थात् बजट), जिसके संबंध में स्वीकृति की मांग की जाय, पहले उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाय। अतएव पिछली सरकार ने पहले के विधान-मण्डल के समक्ष एक अस्थायी वार्षिक वित्त विवरण प्रस्तुत किया और उसने प्राप्तियों के अपने अनुमानों को, राजस्व के वर्तमान स्रोतों (sources), तथा व्यय के अनुमानों को, वर्तमान सेवाओं के लिये अपेक्षित धनराशि के आधार पर, निश्चित किया। उस विवरण में उसने किसी भी नई मांग को सम्मिलित नहीं किया। अब मैं जो बजट प्रस्तुत कर रहा हूं वह अप्रैल, १९६२ से मार्च, १९६३ तक के संपूर्ण वित्तीय वर्ष का बजट है।

वर्ष १९६०-६१ में राज्य की वास्तविक आय तथा व्यय के आंकड़े, वर्ष १९६१-६२ के पुनरीक्षित अनुमान, और वर्ष १९६२-६३ के बजट के अनुमान, बजट पर वित्त सचिव के स्मृति-पत्र में विस्तार पूर्वक दिये गये हैं। यहां पर उनका संक्षेप में उल्लेख कर देना ही मेरे लिये पर्याप्त होगा।

वर्ष १९६०-६१ के मूल बजट में, राजस्व की प्राप्ति और व्यय का अनुमान क्रमश: १३० करोड़ ९० लाख रुपया और १३३ करोड़ २३ लाख रुपया था। इस प्रकार राजस्व में २ करोड़ ३३ लाख रुपये का घाटा प्रकट होता था। परन्तु वर्ष के अन्त में, वास्तव में जितना आय-व्यय हुआ, उसके फलस्वरूप ४ करोड़ ४ लाख रुपये की बचत हुई, क्योंकि राजस्व प्राप्तियां बढ़ कर १४८ करोड़ ३५ लाख रुपया हो गईं और राजस्व व्यय १४४ करोड़ ३१ लाख रुपया हुआ।

जहां तक १९६१-६२ का संबंध है, मूल बजट में राजस्व से होने वाली प्राप्तियों और व्यय का अनुमान क्रमश: १४५ करोड़ ६३ लाख रुपया और १५४ करोड़ १३ लाख रुपया लगाया गया था। इस प्रकार राजस्व में ८ करोड़ ५० लाख रुपये का जो घाटा था उसमें से ५ करोड़ २१ लाख रुपये को अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करके पूरा करने का प्रस्ताव किया गया था और ३ करोड़ २९ लाख रुपये के घाटे को पूरा करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इस वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों में १५२ करोड़ १८ लाख रुपये के राजस्व की प्राप्ति तथा १५६ करोड़ ६७ लाख रुपये के व्यय की आशा की गयी है। इस प्रकार ४ करोड़ ४९ लाख रुपये का घाटा राजस्व में होता है और यह प्रस्ताव है कि राजस्व सुरक्षित निधि से इतनी ही धनराशि संक्रमित करके उसकी पूर्ति कर दी जाय। पुनरीक्षित अनुमानों में यही विधि दिखायी गयी है।

राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (capital expenditure) तथा उसके द्वारा, दिये जाने वाले ऋणों और अग्रऋणों के वितरण (disbursement) का शुद्ध अनुमान, १९६१-६२ के मूल बजट में ५६ करोड़ ४९ लाख रुपया था। पुनरीक्षित अनुमानों में अब यह ५१ करोड़ ८१ लाख रुपया आता है।

वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के लिये राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का अनुमान क्रमश: १७८ करोड़ ६ लाख रुपया तथा १९१ करोड़ ४१ लाख रुपया किया गया है जिससे १३ करोड़ ३५ लाख रुपये का घाटा राजस्व में प्रकट होता है। इन अनुमानों में गत वर्ष के अनुमानों की तुलना में जो असाधारण वृद्धि दिखायी देती है, वह कुछ हद तक उन परिवर्तनों के कारण हुई है जो लेखाप्रक्रिया (accounting procedure) के सुव्यवस्थाकरण (rationalization) के फल-स्वरूप करने पड़े हैं। इन परिवर्तनों के ब्योरों को, बजट पर वित्त सचिव के स्मृति-पत्र में समझाया गया है, और इनके कारण राजस्व प्राप्तियों के अनुमान में लगभग १५ करोड़ रुपये और राजस्व व्यय के अनुमान में लगभग १७ करोड़ रुपये की तदनुरूप वृद्धि हुई है। पर इस वृद्धि को वास्तविक वृद्धि न मानना चाहिए, क्योंकि राजस्व की कुल अनुमानित प्राप्तियों में २० करोड़ ९० लाख रुपये की वह धनराशि सम्मिलित है जिसकी, आयोजनागत योजनाओं (Plan schemes) के निमित्त, भारत सरकार से अर्थ-सहायता (subvention) के रूप में

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

मिलने की आशा है । इसी प्रकार राजस्व व्यय के अनुमान में तीसरी पंचवर्षीय आयोजनागत योजनाओं पर व्यय के लिये ३७ करोड़ ७० लाख रुपये की व्यवस्था सम्मिलित है । यदि आयोजनागत योजनाओं से संबंधित प्राप्तियां और व्यय दोनों ही निकाल दिये जायं तो, आयोजना से भिन्न कुल राजस्व प्राप्तियों तथा व्यय का अनुमान क्रमशः १५७ करोड़ १६ लाख और १५३ करोड़ ७१ लाख रुपया होगा । इस प्रकार राजस्व लेखे में ३ करोड़ ४५ लाख रुपये की बचत होगी जो आयोजनागत योजनाओं पर होने वाले राजस्व व्यय को आंशिक रूप में पूरा करने के लिये उपलब्ध होगी । इसमें केन्द्रीय सरकार से प्रत्याशित अर्थ-सहायता शामिल करने पर कुल धनराशि २४ करोड़ ३५ लाख रुपया हो जायगी, जब कि आयोजना पर राजस्व व्यय का अनुमान ३७ करोड़ ७० लाख रुपया लगाया जाता है । इस प्रकार १३ करोड़ ३५ लाख रुपये का घाटा राजस्व में होगा । राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय और उसके द्वारा दिये जाने वाले ऋणों और अग्रऋणों के वितरण के लिये कुल शुद्ध व्यवस्था ५७ करोड़ ६२ लाख रुपये की है, जिसमें से ४७ करोड़ ८ लाख रुपये की आवश्यकता आयोजना में सम्मिलित योजनाओं के लिये होगी ।

कार्यवाहियों की समीक्षा

जो वर्ष अभी समाप्त हुआ है उसमें सामान्यतया निरन्तर प्रगति हुई है । दैवी आपदाओं के बावजूद फसलें संतोषजनक हुईं और मूल्य आम तौर पर स्थिर रहे । यद्यपि परिवहन की अड़चनें, कोयले की कमी तथा विदेशी मुद्रा-संबंधी कठिनाई आदि जैसी अनेक बाधाएं सामने आईं, फिर भी आयोजना संबंधी कार्यों की प्रगति अच्छी रही । आयोजना के लिये वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के निमित्त ७२ करोड़ ५९ लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई जब कि मूल बजट में उसके लिये ७२ करोड़ १७ लाख रुपये की ही व्यवस्था थी । जो कठिनाइयां सामने आईं, उन्हें दृष्टि में रखते हुए, विकास कार्यक्रमों की प्रगति को बनाये रखने के उद्देश्य से, अनुपूरक अनुमानों के द्वारा विधान मण्डल की स्वीकृति लेकर, वर्ष के दौरान में समायोजन किये गये । इस प्रकार के समायोजन उद्योग, लघु सिंचन-कार्यों, शिक्षा तथा स्वास्थ्य और जल-सम्भरण (water supply) की प्रगति के निमित्त बड़े पैमाने पर किये गये । वर्ष की अंतिम सफलताओं का विस्तृत रूप से मूल्यांकन करना अभी असामयिक होगा, किन्तु वर्तमान लक्षणों से प्रकट होता है कि बजट में नियत धनराशियों के पर्याप्त भाग का उपयोग हो जायगा ।

कृषि कार्यक्रम

हमारे जैसे राज्य में, जिसकी अर्थ-व्यवस्था मुख्यतया कृषि पर निर्भर है, कृषि संबंधी उत्पादन के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना अनिवार्य हो जाता है । वास्तव में यदि राज्य को आर्थिक दृष्टि से प्रगति करनी है तो उसे अपने कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि करनी होगी । इसी कारण से सरकार ने कृषि को 'उद्योग' के समकक्ष ही महत्व देने का निश्चय किया । सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत, कृषि संबंधी उत्पादन की वृद्धि के लिए आवश्यक साधनों की व्यवस्था करने में संतोषजनक प्रगति की है, और मुझे आशा है कि हमारे किसान उन अवसरों का पूरा-पूरा लाभ उठायेंगे जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए उन्हें दिये जा रहे हैं । इस समय राज्य में ७१० सक्रिय खण्ड (active blocks) हैं, जिनके अन्तर्गत राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग ७१.५ प्रतिशत, तथा ग्रामीण जनसंख्या का ७३.७ प्रतिशत भाग आ गया है । सामुदायिक विकास खण्डों में कृषि संबंधी कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है । ५७७ खण्डों में, जिनके संबंध में दिसम्बर १९६१ की समाप्ति तक रिपोर्टें प्राप्त हो गयी थीं, जापानी ढंग से धान की खेती करने की प्रणाली, १४ लाख ३५ हजार एकड़ क्षेत्र में लागू की गयी थी, जब कि गेहूं की खेती करने की उत्तर प्रदेशीय प्रणाली का उपयोग १५ लाख ७१ हजार एकड़ क्षेत्र में किया गया था । विकास खण्डों में स्थित ६ प्रशिक्षण केंद्रों

में कृषि संबंधी उपकरणों के लिये वर्कशाप (कर्मालय) खोल दिये गये हैं, और इनके अतिरिक्त कृषि कालेज भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करने, तथा गैर-सरकारी छोटी-मोटी सिंचाई को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रशासकीय यंत्र (administrative machinery) तथा प्रक्रिया में अपेक्षित सुधार किया गया है। तकावी के नियमों को भी उदार बना दिया गया है, और साधन सहकारी समितियों, बड़ी समितियों (societies), गन्ना यूनियनों (cane unions) तथा विकास खंड अभिकरणों (block agencies) के माध्यम से, छोटी-मोटी सिंचाई के लिये ऋण दिये जाने के निमित्त विशेष नियम बनाये गये हैं। अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम के अन्तर्गत अग्रिम ऋणों के रूप में ४ करोड़ २० लाख रुपये दिये गये, जब कि १९६०-६१ में इसके लिये १ करोड़ ५४ लाख रुपये दिये गये थे। इसके अतिरिक्त सिंचाई के छोटे-मोटे निर्माण-कार्यों के लिये विकास खण्डों के माध्यम से २ करोड़ २० लाख रुपये की धनराशि दी गयी।

इस वर्ष की दूसरी उल्लेखनीय सफलता यह है कि चकबन्दी के कार्य में, लक्ष्य से अधिक प्रगति हुई है, जिसके फलस्वरूप कृषि तथा भूमि प्रबन्ध के उत्तम संगठन के लिये व्यवस्था हो गयी है। हमने अब तक २१ लाख ३६ हजार एकड़ भूमि की चकबन्दी कर ली है जब कि हमारा लक्ष्य १५ लाख ६० हजार एकड़ भूमि की ही चकबन्दी करने का था। पहाड़ी क्षेत्रों में लगान सम्बन्धी पड़ताल (cadastral survey) के कार्य में भी प्रगति हो रही है। सहकारी समितियां कृषि संगठन में भी व्यापक रूप से स्थापित हो गयी हैं। ग्राम प्रारम्भिक समितियों (Village Primaries) के सदस्यों की संख्या में ७ लाख की वृद्धि हुई और इस प्रकार सदस्यों की कुल संख्या ४० लाख हो गयी है। १९६२-६३ में इसमें ७ लाख की और वृद्धि होगी। प्रारम्भिक समितियों (Primaries), जिला केन्द्रीय बैंकों (District Central Banks) तथा उत्तर प्रदेश सहकारी बैंकों ने मिलकर कुल २ करोड़ ५९ लाख रुपया अतिरिक्त अंश-पूंजी (additional share capital) के रूप में प्राप्त किया जब कि इन संस्थाओं ने अतिरिक्त निक्षेपों के रूप में ५ करोड़ ६० लाख रुपये प्राप्त किये हैं। अल्पकालीन ऋण (short-term loans) के रूप में कुल ३६ करोड़ रुपये दिये गये, और मध्यकालीन ऋणों (medium-term loans) के रूप में कुल एक करोड़ रुपया दिया गया। बजट वर्ष में अल्पकालीन ऋणों के रूप में ४२ करोड़ रुपये देने और मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों में से प्रत्येक के लिये ४ करोड़ रुपये देने का कार्यक्रम है। कृषि-भूमि की बाढ़ों से रक्षा करने और उसमें पानी जमा न होने देने के लिये पर्याप्त प्रयास किया जा रहा है। यह सन्तोष की बात है कि खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उत्पादन ने १९६०-६१ में १४० लाख टन से अधिक उत्पादन करके अभूतपूर्व रिकार्ड कायम किया था। सम्भावना यही है कि ऐसी ही स्थिति इस वर्ष भी बनी रहेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य में कृषि उत्पादन को बड़ी मात्रा में और अधिक बढ़ाया जा सकता है, तथा उन सुविधाओं को भी ध्यान में रखते हुए जो इस समय दी जा रही हैं, यह सोचा जाता है कि प्रति एकड़ उपज बढ़ाने में अब भी काफी सुधार की गुंजाइश है। मुझे यही उम्मीद है कि हमारे कृषक आगरा जिले के अहरौरा ब्लाक के निवासी, श्री नाथी-सिंह के उदाहरण का अनुकरण करके इस सम्बन्ध में प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। उन्होंने प्रति एकड़ लगभग ३८ मन गेहूं उत्पादन करने की विशिष्टता दिखाई और पद्म श्री का सम्मान प्राप्त किया, जिसके लिये वे हमारे बधाई के पात्र हैं।

सिंचाई

कृषि कार्यक्रमों की सफलता के लिये सिंचाई सम्बन्धी निर्माण-कार्यों का जो महत्व है उसके सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। सिंचाई सम्बन्धी योजनाओं पर होने वाला व्यय, १९६१-६२ में निर्माण सम्बन्धी सामग्री तथा विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के बावजूद, लगभग ८ करोड़ रुपया होने की सम्भावना है। १९६२-६३ में इस व्यय के बढ़कर १३ करोड़ रुपया हो जाने की सम्भावना है। वर्ष में बहुत सी मध्यम श्रेणी की और लघु योजनायें

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

पूरी की गयीं। इनमें तोमारिया जलाशय, जिरगो जलाशय और बाल्मीकि (ओहन) जलाशय भी शामिल हैं। सिंचाई की जिन अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है, वे हैं--रामगंगा बहुमुखी प्रायोजना (project), शारदा सागर प्रायोजना और उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित की जाने वाली गंडक नहर प्रायोजना। गंडक नहर की अनुमानित लागत में हमारा हिस्सा सम्भवतः १० करोड़ रुपये होगा और इससे ६ लाख ४२ हजार एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होने की सम्भावना है। एक दूसरी बड़ी प्रायोजना जिस पर काम आरम्भ किया जाने वाला है, वह है सरयू नहर प्रायोजना, जिस पर २६ करोड़ रुपया व्यय होने और जिससे ६ लाख २७ हजार एकड़ क्षेत्र की सिंचाई होने का अनुमान है।

इस राज्य के लिये एक महायोजना (मास्टर प्लान) तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य ५६ लाख एकड़ भूमि तथा ७,००० गांवों और ६० से अधिक नगरों की, बाढ़ से रक्षा करना तथा उन्हें पानी के जमाव से बचाना है। तृतीय आयोजना में बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी निर्माण-कार्यों के लिए ५ करोड़ ७५ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है, जिसमें से १९६२-६३ में ९८ लाख रुपया व्यय करने का विचार है।

विद्युत शक्ति तथा 'उद्योग'

राज्य की आर्थिक प्रगति में सबसे अधिक बाधा अकेले विद्युत शक्ति की कमी से पहुंची है, और विकास के हमारे प्रयास की सफलता बहुत बड़ी सीमा तक इस बात पर निर्भर है कि 'उद्योग' के लिए अपेक्षित विद्युत शक्ति को हम कितना अधिक बढ़ा सकते हैं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में राज्य ने इस क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। रिहन्द विद्युत प्रायोजना (Rihand Power Project) प्रायः पूरी हो गई है और उसके तीन "जेनेरेटिंग यूनिट" व्यापारिक प्रयोजनों के लिए बिजली सप्लाई करने के निमित्त तैयार हो गये हैं। ५० मेगावाट का एक यूनिट १ फरवरी, १९६२ से व्यापारिक प्रयोजनों के लिए बिजली सप्लाई करने के लिए चालू हो गया है और राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर तथा मुगलसराय के ग्रिड सब-स्टेशनों से सम्बन्धित कार्य १९६२-६३ के मध्य तक समाप्त हो जाने की सम्भावना है। राज्य विद्युत परिषद् ने भी विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हरदुआगंज विस्तार प्रायोजना (एक्स्टेंशन प्रोजेक्ट) का पहला चरण (stage) लगभग पूरा हो रहा है और वहां के ६० मेगावाट के नये बिजली घर को शीघ्र ही चालू कर दिया जायगा। बजट वर्ष में कानपुर में १५ मेगावाट की एक प्रायोजना पूरी हो जायगी। अन्य अनेक बड़ी योजनायें जैसे--यमुना जल विद्युत योजना का प्रथम तथा द्वितीय चरण, माताटीला जल विद्युत प्रायोजना, रामगंगा जल विद्युत प्रायोजना, ओबरा जल विद्युत प्रायोजना, हरदुआगंज विद्युत योजना का द्वितीय चरण तथा कानपुर विस्तार प्रायोजना (एक्स्टेंशन प्रोजेक्ट) का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। पहाड़ी क्षेत्रों में, चमोली तथा उत्तरकाशी में, दो-दो सौ किलोवाट की दो छोटी योजनाओं का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायगा। राज्य विद्युत परिषद् ने १९६१-६२ में १८६ ग्रामीण स्थानों में बिजली लगाने की स्वीकृति दे दी है। वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में विद्युत योजनाओं के लिए लगभग १२ करोड़ २९ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

राज्य के शीघ्र औद्योगीकरण करने के हमारे गहन प्रयासों के फलस्वरूप हमें राज्य में नये उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में सफलता मिली है। हरिद्वार के निकट ज्वालापुर में भारत सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली एक हैवी एलक्ट्रिकल उपक्रम (heavy electrical concern) के लिए भूमि अध्याप्त कर ली गई है और वह उसे बिना मूल्य दे दी गई है। कानपुर, बरेली, गोरखपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजियाबाद और हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए स्टेट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन को ८५ लाख रुपये का ऋण

दिया गया है। इस कारपोरेशन ने चार स्थानों में इन क्षेत्रों के स्थापित करने से सम्बन्धित अधिकांश प्रारम्भिक कार्यों को पहले ही पूरा कर लिया है। जहां तक जिला औद्योगिक आस्थानों (डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रियल इस्टेट्स) का सम्बन्ध है, ५१ में से ३० स्थानों में भूमि पर कब्जा ले लिया गया है, और शेष स्थानों में भूमि-अध्याप्ति सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है। कपूर बनाने का एक कारखाना बरेली में स्थापित किया जा रहा है, और कृत्रिम (सिंथेटिक) रबर बनाने के कारखाने से सम्बन्धित कार्य भी चालू है। कागज और न्यूजप्रिंट के उत्पादन तथा मोटर साइकिलों और ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए शीघ्र ही यूनिटें स्थापित की जाने की सम्भावना है। औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने की दिशा में यू० पी० इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था। इस कारपोरेशन की प्राधिकृत पूंजी (authorised capital) ५ करोड़ रुपया तथा दत्त पूंजी (paid-up capital) ७५ लाख रुपया है और यह सम्पूर्ण धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी गई है। इन्डस्ट्रीज (डेवलपमेंट ऐंड रेगुलेशन) ऐक्ट के अधीन लिये गये नये लाइसेंसों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। १९६०–६१ में जारी किये गये नये लाइसेंसों की संख्या १३६ और उनसे प्राप्त धनराशि ५२ करोड़ रुपये थी। वर्ष १९६१–६२ में इस संख्या में ८८ की और वृद्धि हो गई और उनसे प्राप्त धनराशि ४४ करोड़ ९० लाख रुपये हुई।

दोनों राजकीय उद्योगों, अर्थात चुर्क स्थित सीमेंट फैक्ट्री और लखनऊ स्थित प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री के प्रसार के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में भी अच्छी प्रगति हो रही है। सीमेंट फैक्ट्री की क्षमता को दुगुना करने का कार्यक्रम प्रायः पूरा हो चुका है और नये यूनिट के शीघ्र ही चालू हो जाने की सम्भावना है। लखनऊ की प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री की क्षमता १९६५–६६ तक सम्भवतः तिगुनी हो जायगी। लखनऊ में चाक्षुष उपकरण (आप्टिकल इंस्ट्रूमेंट) बनाने की योजना में भी काफी प्रगति हो रही है। लघु स्तरीय उद्योग निगम (स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन) ने भी कच्चे माल के वितरण के लिए अपने कार्यक्षेत्र को और अधिक व्यापक कर दिया है। औद्योगिक क्षेत्र में सहकारिता सम्बन्धी कार्य में भी सन्तोषजनक प्रगति हो रही है। १९६१–६२ में कानपुर में एक सहकारी औद्योगिक आस्थान (कोआपरेटिव इण्डस्ट्रियल स्टेट) का उद्घाटन किया गया। इसमें बहुत बड़ी संख्या में सहकारी फैक्ट्री यूनिटें होंगी। सहकारी क्षेत्र में हथकरघों की संख्या का अनुमान १,९७,४४५ लगाया गया है, जो १९६०–६१ के अन्त की संख्या से ३,१४५ अधिक है।

संचार-साधन

(Communications)

कृषि तथा उद्योग दोनों के शीघ्रगति से विकास के लिये संचार सुविधाएं अत्यावश्यक हैं। राज्य में १९६०–६१ के अन्त तक १४,४९७ मील लम्बी पक्की सड़कें थीं, जिनमें १९६२–६३ के अन्त तक ७५० मील की और वृद्धि हो जायगी। १९६१–६२ के अन्त तक लगभग ६,००० मील लम्बी सड़कों का नवीकरण हो गया है और जिसमें १९६२–६३ के अन्त तक १२२ मील की वृद्धि होने की आशा है। १९६०–६१ तक ८८ नये पुलों का निर्माण-कार्य पूरा किया गया था और वे यातायात के लिए खोल दिये गये थे। बजट वर्ष के अन्त तक ४४ नये पुल इस्तेमाल किये जाने के लिये तैयार हो जायेंगे।

सामाजिक सेवाएं

शिक्षा

सामाजिक सेवा योजनाओं के सम्बन्ध में पिछले वर्ष के अन्तर्गत इस राज्य में काफी प्रगति हुई है। प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति बड़ी तेजी से हो रही है। मूलतः ग्रामीण क्षेत्रों में २,५०० मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोले जाने की योजना थी, लेकिन वास्तव में ५,००० स्कूल खोले गये हैं। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में लड़कियों के १,००० जूनियर बेसिक स्कूल

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

और ४७० बड़े जूनियर बेसिक स्कूल खोले गये हैं। १९६२-६३ के कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में २,००० मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल और लड़कियों के १,००० जूनियर बेसिक स्कूलों का खोला जाना सम्मिलित है। अध्यापिकाओं के निमित्त १,६०० क्वार्टरों के निर्माण के लिये भी व्यवस्था की गई है। सीनियर बेसिक स्तर पर ८ सरकारी स्कूल लड़कों के, और १२ सरकारी स्कूल लड़कियों के, तथा ३३ गैर-सरकारी स्कूल खोले जायेंगे। १८० मान्यता-प्राप्त स्कूलों को सहायक अनुदान दिये जायेंगे और १५४ स्कूलों को, इमारतें बनाने के लिये अनुदान दिये जायेंगे। १,१२० स्कूलों में विज्ञान के विषयों के पढ़ाने की भी व्यवस्था की गई है। हायर सेकेन्डरी स्कूलों की दशा सुधारने के लिये, १११ शिक्षा संस्थाओं को विज्ञान की शिक्षा के विकास के लिये अनुदान दिये जायेंगे और १६० संस्थाओं को इमारतें बनाने के लिये अनुदान दिये जायेंगे। १६० मान्यता-प्राप्त हायर सेकेंडरी स्कूलों को सहायक अनुदान के निमित्त सूची में सम्मिलित किया जायगा।

प्राविधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। इलाहाबाद में एक नया मेडिकल कालेज खुल गया है जिसमें प्रतिवर्ष ५० विद्यार्थी भर्ती किये जाते हैं। वाराणसी के विश्वविद्यालय में एक मेडिकल कालेज स्थापित किया गया है तथा निकट भविष्य में अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी एक मेडिकल कालेज खुल जाने की सम्भावना है। विभिन्न अभियंत्रण (engineering) विषयों में डिप्लोमा और डिग्री के स्तर की शिक्षा के लिये सुविधायें काफी बढ़ा दी गई हैं। इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है तथा बजट वर्ष में गोरखपुर में एक नये इंजीनियरिंग कालेज के कार्य प्रारम्भ कर देने की सम्भावना है। उद्योग विभाग की प्राविधिक शिक्षा योजना (Technical Education Scheme) के अन्तर्गत ५ नयी डिप्लोमा संस्थाओं (diploma institutions) तथा ११ नयी जूनियर प्राविधिक संस्थाओं (technical institutions) को खोलने का प्रबन्ध प्रायः पूरा हो चुका है। ११ लाख रुपये की धनराशि का सहायक अनुदान ७ गैर-सरकारी सिविल-इंजीनियरिंग संस्थाओं को दिया गया जिससे कि उन्हें अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् (All India Council of Technical Education) द्वारा स्वीकृत स्तर पर लाया जा सके। शीघ्र ही बख्शी-का-तालाब में हरिजन विद्यार्थियों के लिये पोलीटेक्निक (शिल्प शिक्षणालय) की कक्षाएं प्रारम्भ हो जायंगी। वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालयों (Industrial Training Schools) में भी विभिन्न व्यवसायों में शिल्पियों (craftsmen) के प्रशिक्षण के लिये सुविधाएं दे दी गई हैं। १९६१-६२ में प्राविधिक शिक्षा के लिये ५२८ अतिरिक्त स्थानों (seats) की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार अब उपलब्ध स्थानों की कुल संख्या ४,१८८ हो गई है। बजट वर्ष में ९६० अतिरिक्त स्थानों की व्यवस्था की जायगी। २९ नयी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं खोली जायंगी, जिनमें २,७६० स्थान होंगे। सायंकालीन कक्षाओं द्वारा ६०० विद्यार्थियों को एप्रेन्टिसी का प्रशिक्षण (apprenticeship training) दिया जायगा।

चिकित्सा और स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के क्षेत्र (health sector) के अन्तर्गत निजी रूप से प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों को कुछ शर्तों (on contract) पर नियोजित करके ग्रामीण औषधालयों में चिकित्सा अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिये कदम उठाया गया है। १९६०-६१ के अन्त तक चिकित्सालयों में रोगी शैय्याओं की संख्या २०,५४५ थी जो १९६१-६२ के अन्त तक बढ़कर २१,५०३ हो गई है। बजट वर्ष में इसमें ३५२ रोगी शय्याएं और बढ़ा दी जायंगी। १९६२-६३ में खोले जाने वाले नये औषधालयों की संख्या १२ है। मलेरिया के बढ़ते हुये प्रकोप की सफलतापूर्वक रोकथाम कर दी गई है और वर्तमान पर्यवेक्षण समाप्त हो जाने के पश्चात् आशा है कि इस रोग का पूर्णतया उन्मूलन हो जायगा। इसी प्रकार

प्रारम्भिक जांच-पड़ताल के बाद चेचक के उन्मूलन का कार्यक्रम भी प्रारम्भ कर दिया गया है। नई योजनाओं के अन्तर्गत, किंग जार्जेज मेडिकल कालेज लखनऊ में, एक 'न्यूरो-सर्जरी यूनिट' (Neuro-Surgery Unit) तथा एक 'आर्टिफीशिअल लिम्ब सेन्टर' (कृत्रिम अंग केन्द्र) और उनकी संयुक्त (prosthetic) कर्मशालायें स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्लास्टिक सर्जरी, प्रयोगात्मक शल्य-क्रिया तथा प्रयोगात्मक औषधियों के यूनिट भी इस कालेज में खोले जा रहे हैं।

शहरी क्षेत्रों में ५२ स्थानीय निकायों को जल-वितरण की व्यवस्था करने के लिये ऋण के रूप में सहायता दी गई है और विगत वित्तीय वर्ष में ग्रामीण जल-वितरण के लिए ३१ लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी थी।

श्रमिक कल्याण

कारखानों के मालिकों तथा श्रमिकों के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन करने तथा कर्मचारियों की समस्याओं (personnel problems) को हल करने के लिये उनके समक्ष समुचित दृष्टिकोण रखने के उद्देश्य से एक कर्मचारी परामर्शदात्री सेवा (Personnel Advisory Service) प्रारम्भ की गई है। श्रमिकों तथा उनकी यूनियनों को औद्योगिक झगड़ों के मामलों में निःशुल्क विधिक परामर्श उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है और इस प्रयोजन के लिए एक विधिक परामर्शदात्री सेवा की भी स्थापना की जा रही है। श्रमिकों के मनोरंजन के लिये ५ अभिरुचि केन्द्र (Hobby Centres) खोले गये हैं और महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिये २ चल प्रशिक्षण केन्द्र (Peripatetic Training Centres) भी खोले गये हैं।

कुछ अन्य आवश्यक बातें

जुलाई, १९६० में जो सैनिक स्कूल खोला गया था उसमें उस समय ५२ विद्यार्थी भर्ती किये गये थे। अब उसमें १०० विद्यार्थी पढ़ते हैं। यह स्कूल इस राज्य के युवकों को प्रतिरक्षा सेवाओं में कमीशन प्राप्त करने के निमित्त तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। सरकार ने राज्य की विधियों को सरल बनाने तथा उनके संयोजन (consolidation) के सम्बन्ध में परामर्श देने के उद्देश्य से विगत वित्तीय वर्ष में एक विधि आयोग भी नियुक्त किया है।

सरकार ने आयोजनागत योजनाओं का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपने कर्मचारियों को प्रेरणा प्रदान करने के लिये भी कदम उठाये हैं। उन्हें जो सुख-सुविधाएं दी गई हैं वे उपलब्ध वित्तीय साधनों के कारण अनिवार्यतः सीमित हैं। किन्तु सरकार यह अनुभव करती है कि विगत वित्तीय वर्ष में इस सम्बन्ध में जो कार्यवाहियां की गई हैं, उनसे सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलना चाहिये। इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है कि वे विकास योजनाओं की सफलता के लिये उत्साह तथा लगन के साथ पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। सदन को सम्भवतः यह ज्ञात है कि पिछले वर्ष में पेंशन योजना को काफी उदार बना दिया गया है और सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली वार्षिक पेंशन की अधिकतम धनराशि ५,००० रुपये से बढ़ा कर ६,७५० रुपये कर दी गई है। इसके अतिरिक्त सेवा-निवृत्ति के बाद उपदान (gratuity) देने की भी व्यवस्था कर दी गई है और पारिवारिक पेंशन की एक योजना भी चालू कर दी गई है। यह निश्चय किया गया है कि स्थायी हो जाने के बाद सरकारी कर्मचारी की अस्थायी सेवा की सम्पूर्ण अवधि की गणना पेंशन के निमित्त की जाय। छुट्टी के नियमों में संशोधन कर दिया गया है और अब छुट्टी के वेतन का हिसाब १० मास के औसत वेतन के आधार पर लगाया जाता है जब कि पहले ३ वर्ष के औसत वेतन के आधार पर लगाया जाता था। अब पेंशन का हिसाब लगाने में महंगाई भत्ते की पूरी धनराशि को शामिल किया जाता है और २४९ रुपये या उससे कम वेतन पाने वाले सभी अपत्रित सरकारी कर्मचारियों के वेतन में ५ रुपया प्रतिमास की तदर्थ (*ad hoc*) वृद्धि कर दी गई है।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

पंचायती राज का उल्लेख किये बिना यह समीक्षा अपूर्ण ही रहेगी । जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति अधिनियम लागू करके कुछ विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है और अब वह कार्य ग्राम पंचायतों के सुपुर्द हो गया है । प्राइमरी स्कूलों के निर्माण और संचालन की देखभाल करने के लिये पंचायतों की प्राइमरी स्कूल प्रबन्ध समितियां स्थापित कर दी गई हैं, और उन्हें तृतीय आयोजना में स्वीकृत स्कूलों की इमारतें बनाने के लिये मैदानी क्षेत्रों में २,५०० रुपया प्रति स्कूल तथा पहाड़ी क्षेत्रों में ३,५०० रुपया प्रति स्कूल के हिसाब से अनुदान दिये गये हैं । पहाड़ी जिलों में पीने के पानी का वितरण करने की ऐसी योजनाएं भी, जिनमें से प्रत्येक की लागत १०,००० रुपये तक हो, ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं ।

मैंने तीसरी आयोजना के प्रथम वर्ष के कार्य-कलाप और प्रगति की समीक्षा संक्षेप में करने का प्रयास किया है । मुझे विश्वास है कि मंत्रिमंडल के मेरे माननीय सहयोगी सदन के समक्ष इस सम्बन्ध में अधिक विस्तृत ब्योरे रखेंगे, और अनुदानों की मांगों पर होने वाली बहस के दौरान में बजट वर्ष के कार्यक्रमों की खास-खास विशेषताओं को भी स्पष्ट करेंगे । जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, आयोजना को यथासम्भव लचीला (flexible) रखा गया है जिससे कि प्राप्त अनुभव के आधार पर उसमें परिष्कार किये जा सकें । १९६२-६३ की वार्षिक आयोजना, योजना आयोग (Planning Commission) के परामर्श से तैयार की गई है और उसकी लागत लगभग ८५ करोड़ रुपये है । राज्य सरकार ने आयोजना का एक प्रारूप तैयार किया था जिसकी लागत ९१ करोड़ रुपये से अधिक थी, किन्तु संसाधनों के सीमित होने के कारण उसमें कटौती करना आवश्यक हो गया । किन्तु यह कटौती करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि उत्पादक कार्यक्रमों को जो उच्च प्राथमिकता दी जा चुकी है उसमें बाधा न पड़े ।

विशेष महत्व की बातें

अब मैं बजट अनुमानों की कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ । मैं यहां पर इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि पी० एम० एस० (द्वितीय) और प्राविन्शियल सबार्डिनेट मेडिकल सर्विस आफिसर्स (प्रान्तीय अधीनस्थ चिकित्सा सेवा के अधिकारियों) को निजी रूप से प्रैक्टिस न करने देने के लिये दिये जाने वाले भत्ते की दरों को संशोधित कर दिया गया है । उनकी सेवाओं की अवधि के आधार पर अब इन अधिकारियों को ५० रु० से लेकर १०० रु० प्रति माह तक यह भत्ता दिया जायगा, जबकि आज कल यह भत्ता २० रु० से ५० रु० प्रति माह तक दिया जाता है । इसी प्रकार चिकित्सा अधिकारियों (मेडिकल अफसरों) को राज्य के सुदूर क्षेत्रों में स्थित औषधालयों में जाने के लिये प्रोत्साहित करने के निमित्त यह निश्चय किया गया है कि उन्हें औषधालय की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए प्रति माह ३० रु० से ५० रु० तक का अतिरिक्त औषधालय भत्ता दिया जाय । आशा है ऐसा करने से चिकित्सा विभाग राज्य में चिकित्सा अधिकारियों की वर्तमान कमी को कुछ हद तक दूर करने में समर्थ हो सकेगा ।

जिला सप्लाई अफसरों का वर्तमान संगठन अब स्थायी रूप धारण कर रहा है । जिला सप्लाई अफसरों का ३०० रु० से ४०० रु० तक का वर्तमान वेतन-क्रम, उन पदों पर आसीन अफसरों के उत्तरदायित्व को देखते हुये, उपयुक्त नहीं समझा जा सकता । बहुत से जिला सप्लाई अफसर लम्बे अर्से से अपने वर्तमान वेतन-क्रम की अधिकतम धनराशि प्राप्त कर रहे हैं और उनके लिये आगे पदोन्नति पाने के कोई अवसर नहीं हैं । उनकी कार्य-दक्षता बढ़ाने तथा उन्हें प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि कार्यभार के अनुसार जिलों को श्रेणीबद्ध कर दिया जाय और १० जिलों के जिला सप्लाई अफसरों का वेतन-क्रम २५० रु० से ८५० रु० तक, १४ जिलों के जिला सप्लाई अफसरों का वेतन-क्रम २०० रु० से ६५० रु०

तक और शेष २७ जिलों के जिला सप्लाई अफसरों का वेतन-क्रम २०० रु० से ५०० रु० तक नियत कर दिया जाय।

बिक्री-कर का महत्व दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है और बिक्री-कर के ठीक ठीक निर्धारण तथा उसके अपवंचन को रोकथाम करने का भारी उत्तरदायित्व इस विभाग के अधिकारियों पर आता है। सहायक आयुक्तों के पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों को छोड़कर बिक्री-कर विभाग के अन्य सभी कनिष्ठ (जूनियर) अधिकारियों का वेतन-क्रम २५०—८५० रु० अथवा इससे कम है। केवल सहायक आयुक्तों को ही इस वेतन-क्रम के अतिरिक्त १०० रु० प्रति माह विशेष वेतन मिलता है जो उन्हें उनके गुरुतर उत्तरदायित्व के कारण दिया जाता है। बिक्री-कर विभाग के अधिकारियों में अनुप्रेरणा उत्पन्न करने के उद्देश्य से बजट वर्ष से ५००—१,२०० रु० के वेतन-क्रम में एक प्रवर श्रेणी (selection grade) बनाने का निश्चय किया गया है जिसमें प्रारम्भ में ५ पद होंगे।

कई बार यह देखा जाता है कि मध्यम वर्ग के परिवारों के योग्य विद्यार्थियों को वित्तीय-सहायता न मिलने के कारण विश्वविद्यालयों अथवा इंजीनियरिंग या मेडिकल कालेजों में अपनी पढ़ाई जारी रखने में कठिनाई होती है। इसलिये यह निश्चय किया गया है कि ऐसे योग्य विद्यार्थियों को, जिनके पास विश्वविद्यालयों अथवा इंजीनियरिंग या मेडिकल कालेजों में भर्ती होकर शिक्षा प्राप्त करने के लिये पर्याप्त साधन न हों, छात्र-वेतन (stipends) दिये जायं। इस प्रयोजन के लिये बजट अनुमानों में २ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

छोटे बच्चों को देश के विभिन्न राज्यों का भ्रमण करने और उनमें स्थित अनेक महत्वपूर्ण स्थानों को देखने का अवसर प्रदान करने तथा सांस्कृतिक एवं अन्य संस्थाओं और स्थानों के बारे में उनकी जानकारी बढ़ाने के अभिप्राय से यह निश्चय किया गया है कि बजट वर्ष से विद्यार्थियों के संगठित दलों को यात्रा करने की सुविधायें प्रदान की जायं। इस प्रयोजन के लिये बजट में २ लाख रुपये की धनराशि सम्मिलित कर ली गई है।

अन्य विषयों का उल्लेख करने के पूर्व मैं इस समय सरसरी तौर पर उन अन्य परिवर्तनों का भी उल्लेख कर देना चाहता हूं जो राज्य के वित्तीय प्रशासन में किये गये हैं। लोक लेखा समिति की सिफारिश के अनुसार यह निश्चय किया गया है कि राजस्व प्राप्तियों को भी लेखा-परीक्षा के अन्तर्गत लाया जाय और ऐसे आदेश जारी कर दिये गये हैं जिनके अनुसार महालेखाकार बिक्री-कर प्राप्तियों की भी लेखा-परीक्षा कर सकेगा। राजकीय कार्यवाहियों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रगति के लिये, जो विशेषतः तृतीय पंचवर्षीय आयोजना की अनेक योजनाओं के कारण हो रही है, स्थानीय प्रेरणा की आवश्यकता है और उसके फलस्वरूप कुछ हद तक वित्तीय अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करना आवश्यक हो जाता है। तदनुसार विभागाध्यक्षों तथा कतिपय अन्य अधीनस्थ प्राधिकारियों के वित्तीय अधिकार भी पर्याप्त रूप से बढ़ा दिये गये हैं ताकि सरकारी कार्य का शीघ्रतापूर्वक सम्पादन सुनिश्चित हो सके। इन बढ़ाये गये अधिकारों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी पदों के सृजन के अधिकार, और निर्धारित सीमा के अन्दर मूल तथा नये निर्माण-कार्यों के ब्योरेवार अनुमानों के लिये स्वीकृति देना आदि भी सम्मिलित हैं। लोक लेखा समिति की सिफारिश के आधार पर, आवश्यक प्रकार के अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम धनराशियां निकालने के संबंध में सामान्य पथ-प्रदर्शन के लिये अब नियम बना दिये गये हैं। पहले की ही भांति, सदन द्वारा सम्बन्धित अनुपूरक विनियोग विधेयक (Supplementary Appropriation Bill) स्वीकृत किये जाने और राज्यपाल महोदय से उसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् इन अग्रिम धनराशियों की प्रति-पूर्ति कर दी जायगी।

गत वर्ष की ही भांति, एक छोटी पुस्तिका, जिसमें बजट साहित्य में प्रयुक्त शब्दावली दी गई है, इन पत्रजात के साथ प्रस्तुत की जा रही है और मुझे आशा है कि इस पुस्तिका से माननीय सदस्यों को बजट अनुमानों की जांच-पड़ताल करने में कुछ सुविधा हो जायगी।

अतिरिक्त संसाधन

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

अब मैं १९६२-६३ में आयोजना के व्यय के वित्तपोषण के लिये अतिरिक्त संसाधनों के प्रश्न पर आता हूं। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, बजट अनुमानों में आयोजना से भिन्न मदों से होने वाली ३ करोड़ ४५ लाख रुपये की राजस्व बचत को सम्मिलित कर लेने के पश्चात् १३ करोड़ ३५ लाख रुपये का राजस्व घाटा होता है। यह आशा की गयी थी कि वित्त आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार के निर्णयों के फलस्वरूप जो निधियां प्राप्त होंगी उनके द्वारा इस घाटे के कुछ भाग की पूर्ति हो जायगी। किन्तु हमारी आशाओं के विपरीत, ये निर्णय हमारे राज्य के लिये हानिकर सिद्ध हुये हैं। पहली बात तो यह है कि तृतीय वित्त आयोग ने आय-कर से होने वाली आय को राज्यों के बीच वितरित करने के सिद्धान्त को बदल दिया है और जनसंख्या तथा आय-कर की वसूली के आधार पर अवधारित किये जाने वाले प्रतिशत के सिद्धान्त को, जिसकी सिफारिश प्रथम वित्त आयोग ने की थी, फिर से लागू कर दिया है। कम्पनियां पहले आय-कर दिया करती थीं और वह विभाज्य संराशि में सम्मिलित कर लिया जाता था और राज्यों में वितरित कर दिया जाता था। अब यह कर निगम-कर में परिवर्तित कर दिया गया है और इस कारण वह विभाज्य संराशि में सम्मिलित नहीं किया जाता। फल यह होगा कि राज्यों को हानि उठानी पड़ेगी और इस हानि की पूर्ति के लिये आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की है। यह सही है कि इस हानि के एवज में भारत सरकार १९५९-६० से प्रतिकर स्वरूप अनुदान दे रही थी। पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कम्पनी कानून में बदलाव हो जाने के कारण आयकर की विभाज्य संराशि (divisible pool) काफी घट गयी है, यह आशा की जा रही थी कि वित्त आयोग इस संबंध में राज्यों को होने वाली हानि की पर्याप्त रूप से पूर्ति करने की सिफारिश करेगा। खेद है कि यह आशा पूरी न हो सकी। आय-कर में से विभाज्य संराशि (divisible pool) के लिये दी जाने वाली धनराशि का प्रतिशत ६० से बढ़ा कर ६६ २/३ कर दिये जाने से राज्य को होने वाली हानि की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में सम्भवतः नहीं होगी। मेरी धारणा १९६२-६३ के लिये नियत की गयी वास्तविक धनराशि से ही पुष्ट हो जाती है। पिछले वर्ष इस स्रोत (source) से जो रकम आवंटित कीगयी थी उस कुल धनराशि से ५ करोड़ ७३ लाख रुपया कम पड़ रहा है।

जहां तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों (excise duty) का संबंध है, वस्तुओं की संख्या ७ से बढ़ा कर ३५ अवश्य कर दी गई है, किन्तु वितरण के सिद्धान्त निश्चित करने में जिन बातों पर भी आयोग ने विचार किया हो, उसके परिणामस्वरूप, आर्थिक दृष्टि से, सुदृढ़ राज्यों के अनुभाग पर प्रतिकूल ही प्रभाव पड़ा है। वास्तव में हमारे संविधान में इस बात के लिये पर्याप्त व्यवस्था है कि उन राज्यों को, जो पिछड़े हुये हों तथा जिनकी वित्तीय स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर हो, आवश्यकतानुसार प्रतिकर के रूप में सीधे अनुदान दे दिये जायं। जिस रूप में यह सिफारिशें इस समय हमारे समक्ष हैं, उनमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि तृतीय वित्त आयोग ने अपने इस सिद्धान्त को निर्धारित करने में जिन विभिन्न बातों पर विचार किया है, उन्हें अधिभार (weightage) देने के मामले में उसने क्या तरीका अपनाया।

बिक्री-कर के बदले अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने का जहां तक संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त आयोग ने अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय की सामान्य वृद्धि पर विचार नहीं किया। उसने उसी स्तर पर प्रत्याभूत न्यूनतम (guaranteed minimum) निर्धारित किया है जो कि द्वितीय वित्त आयोग ने निर्धारित किया था। इसका परिणाम यह हुआ है कि राज्य को इस स्रोत से होने वाली आय कई वर्षों से प्रायः स्थिर सी रही है।

मेरी समझ में यह नहीं आता कि तृतीय वित्त आयोग ने ऋणों के विमोचन के लिये राज्य की आवश्यकताओं पर इस आधार पर विचार करना क्यों अस्वीकार कर दिया कि यदि ऋणों के बिमोचन के लिये व्यवस्था की जायगी तो राज्यों को राजस्व में घाटे की संभावना रहेगी । चूंकि ऋणों का प्रतिदान (repayment) हर हालत में करना ही पड़ता है इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि राज्य के राजस्व व्यय के अनुमानों में उसके लिये पूरी व्यवस्था की जाय । केन्द्रीय करों से राज्यों को मिलने वाले भाग को अवधारित करते समय इस तथ्य पर विचार कर लिया जाना चाहिये था । अस्तु,

इन सभी सिफारिशों का निष्कर्ष यही है कि यद्यपि वित्त आयोग का शासन के सदस्यों से जो विचार-विमर्श हुआ था और प्रेस सम्मेलनों में उसने जो आम घोषणायें की थीं उनसे यह आशा हुई थी कि उसकी सिफारिशों के फलस्वरूप केन्द्रीय करों से राज्यों को मिलने वाले भाग में पर्याप्त रूप से वृद्धि हो जायगी, तथापि, इसके विपरीत हमें विगत कुछ वर्षों में प्राप्त हुए केन्द्रीय करों के वास्तविक भाग से अपेक्षाकृत कम धनराशि मिलने की संभावना है जिसके परिणाम स्वरूप उसी हद तक आयोजना संसाधनों में और भी अधिक कमी हो जायगी । स्पष्ट है कि हमारी वास्तविक स्थिति जटिल हो गई है । अगर हम ऊपर बताई गई भारी कमी को पूरा करने के लिये तैयार नहीं होते और आयोजना के लिये संसाधनों के जुटाने में अपने भाग की पूर्ति नहीं करते तो हमें केन्द्र से मिलने वाली सहायता का हिस्सा भी पर्याप्त रूप में नहीं मिलता । उस स्थिति में उन्नति और विकास की यात्रा में यदि हम पिछड़ जाते हैं तो न केवल आज के लिये बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिये भी अहित का मार्ग प्रशस्त करते हैं । हमारा विश्वास है कि हम में से कोई भी इस स्थिति को वांछनीय नहीं समझ सकता । फिर हमारे लिये सिवाय इसके दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं कि हम १३ करोड़ ३५ लाख रुपये के संसाधन अतिरिक्त कर लगाकर जुटावें । हमें स्मरण रखना चाहिये कि आज का भारत कल आने वाली पीढ़ियों के लिये बनाया जा रहा है । फलतः उसकी कल्याण कामना से प्रेरित होकर हमें आज के रचना के भार को कष्ट भोगकर भी उठाना ही है । ऐसा न करेंगे तो हम इतिहास के सम्मुख अपराधी होंगे । फलतः इस धनराशि के कुछ भाग की पूर्ति वर्तमान विधियों के अन्तर्गत अनुज्ञेय दरों के समायोजन द्वारा यथासम्भव की जायगी और शेष धनराशि को जुटाने के लिये जो समुचित उपाय किये जायेंगे उन्हें यथासमय सदन के समक्ष रखा जायगा । फिलहाल मेरा यह प्रस्ताव है कि राजस्व का जितना घाटा बजट के अनुमानों में है उसकी पूर्ति की कोई व्यवस्था न की जाय ।

मुझे इस बात का पूरा ख्याल है कि जो अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है उसका भार वर्तमान उपभोगों तथा बचतों का त्याग करके ही वहन किया जा सकता है । लेकिन आप विश्वास कीजिए कि हम इस निर्णय पर तभी पहुंचे हैं जब यह प्रतीत हुआ है कि योजनाओं को पूरा करने का कोई दूसरा उपाय ही नहीं है । फलतः हमें भविष्य में, अपनी दृढ़ आस्था और विश्वास रखते हुए, इस प्रदेश की जनता की आर्थिक दशा सुधारने तथा भावी संतति के सुख और सम्पन्नता के लिये आज त्याग करने के लिये तैयार होना ही पड़ेगा । अपनी ओर से, मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि नये करों द्वारा एकत्रित एक-एक पैसा प्रदेश के विकास तथा उसकी जनता के हित के लिये ही खर्च होगा ।

श्रीमन्, अपना भाषण समाप्त करने के पूर्व मैं वित्त विभाग के सभी कार्यकर्ताओं और सहकर्मियों के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में अत्यधिक परिश्रम से काम किया है । उनके सहयोग के बिना इस कठिन काम को पूरा करना संभव नहीं था ।

मैं, अपने वित्त सचिव श्री भिडे के प्रति अपनी कृतज्ञता विशेष रूप से व्यक्त करता हूं जो अपने कर्त्तव्य के कठिन भार को बड़ी योग्यता और कुशलता से वहन कर रहे हैं । संयुक्त सचिव श्री दवे तथा उप सचिव श्री भरत नारायण तथा श्री राय और अनुसचिव श्री नैने को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं । वित्त विभाग का कार्यभार मेरे ऊपर अभी हाल में ही आ पड़ा है ।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

उपर्युक्त हमारे सभी सहकर्मियों ने जिस सहानुभूति, जिस योग्यता और जिस तत्परता से मुझ इस भार को उठाने की क्षमता प्रदान की उसके लिये जितना आभार प्रकट करूं कम है । वित्त विभाग के अन्य सभी अधिकारियों के प्रति मैं पुनः कृतज्ञता प्रकट करता हूं ।

इस अवसर पर भाषा विभाग तथा गवर्नमेंट प्रेस के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बजट को प्रस्तुत तथा प्रकाशित करने में अथक परिश्रम किया है ।

श्रीमन्,

मैं १९६२-६३ का बजट पेश करता हू ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ७ मिनट पर सोमवार, १६ अप्रैल, १९६२ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
१२ अप्रैल, १९६२ ।

पी० एस० यू० पी—ए० पी० ४७ एल० ए०—१९६२—८४५ ।